राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( )अनु./कोचिग/सान्याअवि/2021/ 33549 जयपुर, दिनांकः 30-6-2022

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालन की नवीन संशोधित प्रक्रिया

वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक FD(Exp-2)05/TAD(B.A.107)2021-22 दिनांक 05.06.2021 के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना" का परिपत्र जारी किया गया था। उक्त परिपत्र के क्रम में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 13 ( )अनु./कोचिंग/सान्याअवि/2021/ 62 दिनांक 30.06.21 के द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालन प्रक्रिया जारी की गई थी। उक्त योजना की संचालन प्रक्रिया को संशोधित किया जाकर नवीन प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

1. **योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु दी जाने वाली राशि, अवधि एवं छात्र-छात्राओं की न्यूनतम योग्यता का विवरण :-**

क्र.सं.	परीक्षा	राशि	अवधि	न्यूनतम योग्यता
1	यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से- 75 हजार रूपये	1 वर्ष	• स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं • कक्षा 12 में 70% अंक
		अन्य संस्थानों के माध्यम से- 50हजार रूपये	1 वर्ष	• स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं • कक्षा 12 में 60% अंक
2	आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा सयुंक्त प्रतियोगी परीक्षा	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से- 50 हजार रूपये	1 वर्ष	• स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं • कक्षा 12 में 65% अंक
		अन्य संस्थानों के माध्यम से- 40हजार रूपये	1 वर्ष	• स्नातक/स्नातक के अंतिम दो वर्षो में अध्ययनरत एवं • कक्षा 12 में 55% अंक
3	आरपीएससी द्वारा	20 हजार रूपये	6 माह	• स्नातक/स्नातक के अंतिम

	आयोजित सबइंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मेट्रिक्स में पे लेवल-10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाएं			दो वर्षो में अध्ययनरत एवं • कक्षा 12 में 50% अंक
4	रीट परीक्षा	15 हजार रूपये	4 माह	• बी.एड/एसटीसी एवं • कक्षा 12 में 50% अंक
5	आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे- पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाऐं	10 हजार रूपये	4 माह	• स्नातक में अध्ययनरत/ 12वीं तथा RSCIT अथवा कम्प्यूटर कोर्स या ओ लेवल/उच्च स्तरीय कम्प्यूटर सर्टिफिकेट/डिप्लोमा एवं • कक्षा 12 में 50% अंक
6	कांस्टेबल परीक्षा	10 हजार रूपये	4 माह	• कक्षा 10 में 50% अंक
7	इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से- 70 हजार रूपये प्रतिवर्ष	2 वर्ष (कक्षा 11, 12 वीं अध्ययनरत एवं 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि तक)	• कक्षा 10 में 70% अंक
		अन्य संस्थानों के माध्यम से- 55 हजार रूपये प्रति वर्ष		• कक्षा 10 में 60% अंक
8	क्लैट परीक्षा	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से- 40 हजार रूपये	1 वर्ष	• कक्षा 10 में 60% अंक

		प्रतिवर्ष		
		अन्य संस्थानों के माध्यम से- 25 हजार रूपये प्रति वर्ष		• कक्षा 10 में 50% अंक
9	CAFC	प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से- 40 हजार रूपये प्रतिवर्ष अन्य संस्थानों के माध्यम से- 25 हजार रूपये प्रति वर्ष	1 वर्ष (कक्षा 11, 12 वीं अध्ययनरत एवं 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् दो वर्ष की अवधि तक वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों हेतु)	• कक्षा 10 में 60 प्रतिशत अंक
10	CSEET			
11	CMFAC			

उक्त योजना का संचालन ऑनलाईन पोर्टल पर पेपरलैस प्रक्रिया से निम्नानुसार किया जावेगा :-

1. **ऑनलाईन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण :-**

A. विभाग द्वारा इच्छुक कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन प्रस्ताव आमंत्रित कर जिलाधिकारियों के माध्यम से सत्यापन के आधार पर राज्य स्तर पर निर्णय कर उपरान्त सूचीबद्ध किये जावेगें।

B. इच्छुक अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त कर पात्र अभ्यर्थियों की परीक्षावार, वर्गवार, जिलेवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार प्रतिवर्ष मैरिट सूची जारी की जावेगी।

C. मैरिट सूची में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा सम्बधित कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग हेतु प्रवेश लेने के उपरान्त कोचिंग संस्थान को भुगतान किया जावेगा।

D. यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा सयुंक्त प्रतियोगी, मेडिकल/इंजिनियरिंग प्रवेश, सीए, सीएस एवं सीएम परीक्षाओं की कोचिंग करने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने वाले अभ्यर्थि जो कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में आकर रहने पर आवास/भोजन इत्यादि के लिए वर्षवार 40000 रूपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।

2. कोचिंग संस्थानों के पंजीयन/चयन की प्रक्रियाः-

A. इच्छुक कोचिंग संस्थानों के प्रस्ताव विज्ञप्ति जारी कर परीक्षावार उक्त पोर्टल पर ही समस्त दस्तावेजों के साथ आमंत्रित किये जायेगें।

B. ऑनलाईन प्राप्त कोचिंग संस्थानों के प्रस्तावों का जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन कर निदेशालय को ऑनलाईन निरीक्षण रिपोर्ट मय अभिशंषा/आपत्ति के अग्रेषित किया जावेगा।

C. निदेशालय स्तर पर जिलाधिकारियों द्वारा प्रेषित कोचिंग संस्थानों के प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कर कोचिंग संस्थानों के चयन हेतु गठित कमेटी के अनुमोदन उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल पर सूचीबद्ध कर दिया जावेगा।

D. सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में भी सूचीबद्ध रहने हेतु ऑनलाईन सहमति पत्र दिया जाना होगा।

E. पूर्व में सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान योजनान्तर्गत निर्धारित अन्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु सूचीबद्ध होना चाहती है तो उसे केवल अतिरिक्त परीक्षाओं की कोचिंग का ऑनलाईन प्रस्ताव देना होगा।

F. अनुसूचित जाति, अति-पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विशेष योग्यजन हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, अल्पसंख्यक वर्ग हेतु अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा वर्गवार,

परीक्षावार, जिलेवार, महिला/पुरूषवार (50 प्रतिशत के अनुसार) लक्ष्य निर्धारित किया जावेगा।

G. दो वर्षीय पाठ्यक्रम यथा मेडिकल/इंजिनियरिंग में अभ्यर्थियों की एक बार ही मैरिट जारी की जावेगी उस पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की कोचिंग में ऑनलाईन ज्वाईनिंग करने हेतु पृथक से मैरिट जारी नही की जावेगी।

3. कोचिंग संस्थान के सम्बंध मे की जाने वाली प्रक्रियाः-

A. विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने पर इच्छुक कोचिंग संस्थानों द्वारा कोचिंग संचालन के प्रस्ताव एसएसओआडी के माध्यम ऑनलाईन चाहे विवरण के अनुसार किया जाना होगा।

B. ऑनलाईन प्राप्त कोचिंग संस्थानों के प्रस्तावों का जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन कर प्रस्ताव को आक्षेपित/निदेशालय को ऑनलाईन निरीक्षण रिपोर्ट मय अभिशंषा/आपत्ति के अग्रेषित किया जावेगा।

4. कोचिंग संस्थान को सूचीबद्ध किये जाने की पात्रता :-

A. कोचिंग संस्थान को संस्था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860/कंपनी अधिनियम 2013 या राज्य/संघ क्षेत्र के किसी अन्य संगत अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत निकाय या पंजीकृत संचालित संगठ्न होना चाहिए।

B. विभाग द्वारा कोचिंग संस्थाओं के आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना के जारी होने की तारीख को संस्था कम से कम 3 वर्ष पूर्व से पंजीकृत होनी चाहिए।

C. कोचिंग संस्थान इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करते समय कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण रूप से कार्यरत होनी चाहिए।

D. संस्था के पास आवेदित पाठ्यक्रमों में कोचिंग प्रदान करने के लिए सभी आवश्यकताएँ पूरी करने हेतु उपयुक्त अवसंरचना होनी चाहिए।

E. यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होने पिछले 5 वर्षो मे कम से कम 3 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से

कम 3 विद्यार्थियों के अन्तिम चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

F. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होने पिछले 3 वर्षो में कम से कम 2 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के अंतिम चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

G. इंजीनियरिंग/मेडिकल परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होनें पिछले 8 वर्षो में कम से कम 5 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के अंतिम चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

H. क्लैट परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होने पिछले 8 वर्षो में कम से कम 5 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के अंतिम चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

I. सीए, सीएस, सीएमए परीक्षा हेतु ऐसे संस्थान जिन्होने पिछले 8 वर्षो में कम से कम 5 वर्षो में इन प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 100 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में कम से कम 5 विद्यार्थियों के अंतिम चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो।

5. **कोचिंग संस्थान द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज :-**

A. कोचिंग संस्थान का पंजीकरण प्रमाण पत्र।

B. गत तीन वर्षो की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन।

C. गत तीन वर्षो की ऑडिट रिपोर्ट/लेखें।

D. स्टाफ सूची मय योग्यता।

E. कोचिंग संस्थान के भवन का नक्शा मय हॉस्टल, फर्नीचर आदि का विवरण।

F. कोचिंग संस्थान के बैक खाते का विवरण मय आईएफसीकोड।

G. कोचिंग संस्थान का पैन कार्ड।

H. गत तीन वर्षो के लाभान्वितों की सूची।

I. गत पॉच वर्षो में अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का विवरण मय मोबाईल नम्बर सहित।

6. कोचिंग संस्थानों हेतु अन्य शर्ते :-

A. कोचिंग संस्थान द्वारा इस आशय का सहमति पत्र दिया जावेगा कि उनकी कोंचिग संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचीनुसार प्रवेश दिया जावेगा, अभ्यर्थी से किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि प्राप्त नहीं की जावेगीं एवं कोचिंग संस्थान को कोचिंग हेतु निर्धारित नीति अनसार देय राशि की प्रथम/द्वितीय किश्त का 60:40 के अनुसार ही भुगतान प्राप्त हेतु सहमत है।

B. यदि अभ्यर्थी निर्धारित कोचिंग अवधि को बीच में छोड़कर जाता है तो कोचिंग संस्थान को कोर्स हेतु दी गई राशि में से शेष राशि राजकोष में जमा करवाई जावेगी।

C. कोचिंग संस्थानों को आवंटित अभ्यर्थियों की दैनिक उपस्थिति हेतु आधार बैस्ड उपस्थिति हेतु डिवाईस स्थापित करनी होगी।

D. कोचिंग संस्थान द्वारा पोर्टल उल्लेखित स्थान पर ही कोचिंग संचालित किया जाना अनिवार्य है यदि अन्य जिले में उसकी ब्रांच संचालित है तो उसका भी ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीयन कराया जावेगा।

E. सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों की वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट असंतोषजनक पाये जाने/किसी प्रकार की अनियमितता/असत्य दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर संस्थान को हटाये जाने का अन्तिम निर्णय आयुक्त/निदेशक का होगा।

F. संचालन प्रक्रिया की किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर या निर्धारित फीस के अतिरिक्त राशि लिए जाने पर संस्थान को Black Listed किया जा सकेगा।

7. अभ्यर्थी के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया :-

A. विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/एसएसओआईडी के माध्यम उक्त पोर्टल जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जावेगा।

B. अभ्यर्थियों से निर्धारित पात्रता के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त कर मैरिट जारी किये जाने हेतु अभ्यर्थियों के वांछित दस्तावेज यथा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10 व 12वीं की अंकतालिका, आय प्रमाण पत्र इत्यादि यथा संभव दस्तावेज अपलोड नही करवाये जाकर वैब सर्विस के माध्यम से जारीकर्ता एजेन्सी के वैब पोर्टल/जनाधार/राज ई-बोल्ट/डीजी लॉकर के डेटाबेस से स्वतः सत्यापित किये जावेगें एवं उन आवेदन पत्रों को मानवीय सत्यापन नहीं करवाया जाकर स्वतः सत्यापित किया जायेगा।

C. अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग हेतु प्रस्तावित परीक्षा का नाम एवं सूचीबद्ध कोचिंग संस्थान मे से किसी एक कोचिंग संस्थान का चयन किया जायेगा। परीक्षा चयन हेतु जिले में सम्बधित वर्ग में लक्ष्य होने पर ऑनलाईन आवेदन करने दिया जावेगा।

D. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन ऑनलाईन किये जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक कोचिंग संस्थान व परीक्षा का नाम परिवर्तन करने हेतु विकल्प उपलब्ध रहेगा।

E. वर्ष 2022-23 से जिस वर्ष हेतु जारी मैरिट सूची के अनुसार अभ्यर्थी को उसी शैक्षणिक सत्र में ही ज्वाईनिंग किया जाना होगा अन्यथा उसको अगले शैक्षणिक सत्र में लाभ नहीं मिल पायेगा।

8. **अभ्यर्थी की पात्रता :-**

A. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।

B. अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति-पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य एवं विशेष योग्यजन हो।

C. अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) रूपये 8.00 लाख (रूपये आठ लाख रूपये) से कम हो या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। अभ्यर्थी के माता-पिता/ अभिभावक राजकीय/ बोर्ड/

निगम/निजी सेवा में सेवारत /कार्यरत वेतनभोगी है तो विभागाध्यक्ष/ कार्यालयध्यक्ष/ नियोक्ता द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।

D. अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया हो।

E. योजनान्तर्गत क्षैक्षणिक योग्यता एवं परीक्षावार लक्ष्य वित्त विभाग, राजस्थन सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.06.2021, विभाग द्वारा जारी परिपत्र 53535 दिनांक 02.11.2021 एवं 13295 दिनांक 03.03.2022 के अनुसार होगी।

9. अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज :-

A. अभ्यर्थियों से निर्धारित पात्रता के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त कर मैरिट जांरी किये जाने हेतु अभ्यर्थियों के वांछित दस्तावेज यथा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10 व 12वीं की अंकतालिका, आय प्रमाण पत्र इत्यादि यथा संभव दस्तावेज अपलोड नही करवाये जाकर वैब सर्विस के माध्यम से जारीकर्ता एजेन्सी के वैब पोर्टल/जनाधार/राज ई-बोल्ट/डीजी लॉकर के डेटाबेस से स्वतः सत्यापित किये जावेगें एवं उन आवेदन पत्रों को मानवीय सत्यापन नहीं करवाया जाकर स्वतः सत्यापित किया जायेगा।

B. कक्षा 10 व 12वीं की अंकतालिका के साथ योजनान्तर्गत क्षैक्षणिक योग्यता सम्बधी दस्तावेज परीक्षावार वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 05.06.2021 के अनुसार अपलोड किया जाना।

10. अभ्यर्थी के आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया :-

A. अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/एसएसओआईडी से ऑनलाईन किये गये आवेदन का वैब आधारित दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से स्वतः सत्यापन पात्रता के आधार पर स्वतः अनुमोदन किया जावेगा।

B. आवेदन पत्रों के ऑनलाईन आवेदन करने के अंतिम तिथि के अगले दिवस में सम्बधित निदेशालय द्वारा ऑनलाईन व्यवस्था से जिलेवार, वर्गवार, परीक्षावार, निर्धारित लक्ष्य अनुसार मैरिट जारी कर सूची सम्बधित कोचिंग संस्थान को स्वतः प्रेषित हो जावेगी।

C. मैरिट सूची में परीक्षावार, जिलेवार, वर्गवार निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 10 प्रतिशत अतिरिक्त अभ्यर्थियों का चयन प्रतीक्षा सूची के रूप में जारी की जावेगी।

D. मैरिट सूची में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थि जो किसी दस्तावेज के अपलोड नहीं किये जाने के कारण स्वतः सत्यापित व स्वतः अनुमोदित नहीं हुये है वे आवेदन अभ्यर्थी के निवास जिले के आधार पर सम्बधित जिले के विभागीय जिलाधिकारी के मानवीय प्रक्रिया से सत्यापन हेतु प्रदर्शित होगा।

E. सम्बधित विभागीय जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन की जॉच कर 15 दिवस में अनुमोदित/निरस्त कर दिया जावेगा।

F. अंतिम रूप से जारी मैरिट सूची में चयनित बिना अनुमोदित आवेदन जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जाने पर ही सम्बधित कोचिंग संस्थान पर उपस्थिति दिये जाने का विकल्प प्रदर्शित किया जावेगा।

G. जिलाधिकारी सत्यापन में आवेदन को निरस्त होने पर सम्बधित परीक्षा के सम्बधित वर्ग के सम्बधित जिले का मैरिट प्रतीक्षा सूची में वरीयतानुसार आवेदन का स्वतः अंतिम रूप से चयन हो जायेगा व आवेदन अनुमोदित/स्वतः अनुमोदित होने की स्थिति में कोचिंग संस्थान को उपस्थिति हेतु विकल्प स्वतः प्रदर्शित हो जावेगा।

H. वरीयता सूची सम्बधित सत्र हेतु ही प्रभावी रहेगी।

11. **अभ्यर्थियों हेतु अन्य शर्ते :-**

A. अभ्यर्थी द्वारा उक्त योजना में एक बार चयनित होने पर पुनः आवेदन नही करने दिया जावेगा।

B. चयनित अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कोचिंग संस्थान में निर्धारित अवधि में उपस्थिति दी जावेगी जिसकी ऑनलाईन उपस्थिति रिपोर्ट कोचिंग संस्थान द्वारा सम्बधित निदेशालय को प्रेषित की जावेगी।

C. कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग नही किये जाने की स्थिति में उचित कारणों के आधार पर आयुक्त/निदेशक द्वारा पुनः अनुमत किया जा सकेगा।

12. **आवास भत्ता हेतु प्रस्ताव :-**

A. यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा सयुंक्त प्रतियोगी, मेडिकल/इंजिनियरिंग प्रवेश, सीए, सीएस एवं सीएम परीक्षाओं की कोचिंग करने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने वाले अभ्यर्थि जो कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में आकर रहने पर आवास/भोजन इत्यादि के लिए एक मुश्त राशि लिये जाने हेतु कोचिंग संस्थान को किरायानामा/छात्रावास शुल्क रसीद प्रस्तुत की जानी होगी।

B. कोचिंग संस्थान उक्त दस्तावेजों को ऑनलाईन पोर्टल पर Hostel Allowance विकल्प में सम्बधित अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड करना होगा।

13. **देय राशि** :-उक्त योजनान्तर्गत देय राशि का परीक्षावार विवरण वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा "मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना" के सम्बंध में जारी दिशा-निर्देशों के परिपत्र दिनांक 05.06.21 के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

14. **भुगतान प्रक्रिया** :-

A. कोचिंग हेतु दो किश्तों में भुगतान किया जावेगा। जिसकी प्रथम किश्त (60 प्रतिशत) आवंटित कोचिंग संस्थान में निर्धारित अवधि में आधार बैस्ड उपस्थिति रिपोर्ट के आधार पर एवं दूसरी किश्त (40 प्रतिशत) कोचिंग पूर्ण होने के पश्चात कोचिंग संस्थान की आधार बैस्ड उपस्थिति रिपोर्ट के आधार पर सम्बधित विभाग द्वारा सम्बधित मद से नियमानुसार राशि का भुगतान सम्बधित कोचिंग संस्थान को किया जावेगा।

B. जिस कोर्स में प्री एवं मुख्य परीक्षा का प्रावधान रखा हुआ है वहां राशि का विभाजन प्री परीक्षा हेतु 40 प्रतिशत और मुख्य परीक्षा हेतु 60 प्रतिशत रखा जाएका। प्री परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा हेतु कोचिंग में प्रवेश लेने पर ही मुख्य परीक्षा की शेष राशि का भुगतान किया जाएगा। अभ्यार्थियों द्वारा नियमित कोचिंग लिया जाना सुनिश्चित

करेगें। अभ्यर्थी द्वारा बीच में कोचिंग छोड़ने पर विभाग द्वारा दी गई राशि वसूली योग्य होगी।

C. योजनान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के बिन्दु संख्या 3 में अंकितानुसार प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को आवास/भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40000 रूपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करायी जाएगी बशर्ते उन्हें इस कोचिंग के लिए अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए आकर रहना पड़ें। चूंकि योजनान्तर्गत इन परीक्षाओं की कोचिंग की अवधि समान नही होकर अलग-अलग होने के कारण वर्ष की राशि 40000 रूपयों को कोर्स की अवधि के अनुसार मासिक आधार पर बांटकर प्रतिमाह के आधार पर भुगतान किया जावेगा। विभागीय छात्रावास में आवास करने वाले अभ्यर्थी को उक्त राशि देय नहीं होगी।

15. **प्रक्रिया का विनिर्णय** : इस प्रक्रिया की व्याख्या आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, वही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी, किसी भी विवाद में सम्बधित विभाग के आयुक्त/निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांक:एफ13( )मु./अनुप्रति कोचिंग./सान्याअवि/21/ 33550-600 जयपुर, दिनांक : 10-6-22

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, 1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर।
9. आयुक्त, विशेष योग्यजन निदेशालय, राजस्थान जयपुरफ
10. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
12. जिला कलक्टर ....
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ....
14. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. सयुंक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त योजना को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाये जाने के सम्बंध में सम्बधित निर्देशित करावें
16. सयुंक्त निदेशक (योजना)/वित्तीय सलाहकार/ उपनिदेशक (देवनारायण)/सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/ सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास।
17. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....
18. आदेश पत्रावली।

(लोकेश कुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)

88

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः एफ 13 ( )अनु./कोचिंग/सान्याअवि/2021/ 13295 जयपुर, दिनांकः 09.03.2022

परिपत्र

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के बिन्दु संख्या 34 "हमारे द्वारा घोषित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 7 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं ने लाभ प्राप्त किया है। आगामी वर्ष इस योजना का दायरा बढाते हुए इसके अन्तर्गत 15000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जावेगा की क्रियान्विति हेतु **मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत** विभिन्न वर्गों के छात्र-छात्राओं के लिए वर्ष 2022-23 से निम्नानुसार परीक्षावार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैः-

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	श्रेणी का नाम							Total
		SC	ST	OBC	MBC	EBC	Minority	Sp. Dis	
1	यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा	82	63	65	15	30	30	15	300
2	आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा	214	160	159	37	75	75	30	750
3	आरपीएससी द्वारा आयोजित सबइंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे-मैट्रिक्स में पे लेवल-10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाऐं	340	256	256	60	120	120	48	1200
4	रीट परीक्षा	643	481	473	113	225	225	90	2250

5	आरएसएसबी द्वारा आयोजित परीक्षा जैसे पटवारी, कनिष्ठ सहायक हेतु पूर्व की ग्रेड पे 2400 तथा वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तथा पूर्व की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाऐं	511	384	383	90	180	180	72	1800
6	कांस्टेबल परीक्षा	340	256	256	60	120	120	48	1200
7	इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा	1714	1286	1260	300	600	600	240	6000
8	क्लैट परीक्षा	300	224	224	52	104	104	42	1050
9	CAFC	44	31	31	8	15	15	6	150
10	CSEET	44	31	31	8	15	15	6	150
11	CMFAC	44	31	31	8	15	15	6	150
	Total	4276	3203	3169	751	1499	1499	603	15000

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांकः FD(Exp-2)/05/TAD(B.A.107)2021-22 दिनांक 05.06.21 के द्वारा जारी शेष शर्तें यथावत् रहेगी।

यह पत्रावली के पैरा संख्या 213/एन पर सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ओ.पी.बुनकर)
निदेशक एवं सयुंक्त शासन सचिव

10

क्रमांकः एफ 13 ( )अनु./कोचिंग/सान्याअवि/2021/13296-400 जयपुर, दिनांकः 09-03-2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, 1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर।
9. आयुक्त, विशेष योग्यजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर।
10. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा संकुल, जयपुर।
11. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
12. सयुंक्त सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
13. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
14. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. सयुंक्त निदेशक (आई.टी.), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाये जाने के सम्बंध में सम्बधित निर्देशित करावें
16. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण)/ सयुंक्त निदेशक (योजना)/ वित्तीय सलाहकार/सहायक निदेशक (प्रचार-प्रसार)/ सहायक निदेशक (शिक्षा), मुख्यावास।
17. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
18. आदेश पत्रावली।

(डालचन्द वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एवं छात्रावास)